

12/3/22

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्त कि और श्री आनन्दीलाल वैरी एण्ड ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया एवं प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि आपस में पारस्परिक समझौते के पश्चात आपसी विवाद खत्म कर लिया है। अब अपीलान्त अपने द्वारा अर्जित अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। अपील फ़ैसल की जाकर खारिज फ़ैसल जायें। अपीलान्त कि और से जायें वकील अर्जित प्रार्थना पत्र लोक अदालत की भावना को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्त खारिज रिजाली है। पत्रावली आज लोक अदालत में फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दायित्व फ़ैसल हो।

12/3/22
(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

